न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 281 / 2018(228 / 2020) उनवान रतनी बनाम कालूनाथ ::

1. श्रीमति रतनी देवी पुत्री श्री छोगानाथ, पत्नी श्री कैलाशनाथ, जाति जोगी, आयु 46 साल निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, ग्राम गणेती, तहसील टोडा रायसिंह, जिला टोंक, हाल निवासी वर्धमान नगर, श्यामनगर 36 दुकान हीरापुरा अजमेर रोड जयपुर।
2. श्रीमति कंचन देवी पुत्री श्री छोगानाथ, पत्नी श्री प्रहलादनाथ, जाति जोगी, आयु 35 साल मूलनिवासी कुंवाडाखुर्द, तहसील टोडा रायसिंह, जिला टोंक, हाल निवासी ए38 वर्धमान नगर, श्यामनगर 36 दुकान हीरापुरा अजमेर रोड जयपुर।

--प्रार्थीयागण

बनाम

1. श्री कालूनाथ पुत्र लादूनाथ आयु 45 साल जाति जोगी
2. मनोज पुत्र कालूनाथ आयु 26 साल जाति जोगी
3. सरोज पुत्री कालूनाथ आयु 23 साल जाति जोगी
4. पूजा पुत्री कालूनाथ आयु 21 साल जाति जोगी
5. आशा पुत्र कालूनाथ आयु 19 साल जाति जोगी
6. हंसा पुत्री कालूनाथ आयु 16 साल जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता कालूनाथ पुत्र लादूनाथ सर्व निवासी प्लाट संख्या बी07 कचनार लिमिटेड एक्सपोर्ट फैक्ट्री सैकण्ड कृष्णापुरी कालोनी, एम.जी.एफ. मॉल के पीछे बाईस गोदाम जयपुर राजस्थान।
7. रामनाथ दत्तक पुत्र श्री बालनाथ आयु 40 साल जाति जोगी
8. श्रीमति कमला पत्नी श्री काननाथ आयु 38 साल जाति जोगी

   निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर
9. उपपंजीयक अरांई
10. तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

—अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान का.अधि.1955

निर्णय दिनांक 19.10.2023

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 के तहत राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 28.08.2018 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 281/2018 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थियागण आपस मे सगी बहने है एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 06, प्रार्थीयागण की सगी बहन स्व. लाली देवी पत्नी श्री कालूनाथ के वारिसान है, अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीयागण की सगी बहन स्व. लाली देवी का पति कालूनाथ है तथा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम गेहलपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 491 के सहखातेदार है। श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम गेहलपुर स्थित कृषि आराजी खसरा संख्या 492/1, 492/4, 493/1, 493/5 कुल किता 04 कुल रकबा 12 बीघा 05 बीस्वा स्थित है जो कि अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज है। प्रार्थियागण की माता श्रीमति बदामी देवी का दिनांक 31.05.2016 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थियागण के पिता छोगानाथ का निधन दिनांक 03.12.2017 को हो चुका है। प्रार्थियागण की बहन लाली देवी का निधन दिनांक 15.05.2014 को हो चुका है। स्व. श्री छोगानाथ व श्रीमति बदामी देवी के` तीन संतान उत्पन्न हुई जिसमें से लाली देवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 लाली देवी के वारिसान है तथा प्रार्थियागण लाली देवी के बहने होकर स्व. श्री छोगानाथ की पुत्रिया है। प्रार्थियागण के पिता स्व. श्री छोगानाथ के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा संख्या 491, 492, 493, 494 कुल किता 04 कुल रकबा 36 बीघा 17 बीस्वा भूमि ग्राम गेहलपुर, तहसील अरांई में स्थित थी जिसमें स्व. छोगानाथ का 1/3 हिस्सा निहित था। प्रार्थिया के पिता स्व. छोगानाथ के भानजे गोपालनाथ पुत्र शंकरनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम आवडा तहसील मालपुरा जिला टोंक ने छोगानाथ से धोखाधडी कर छोगानाथ का 1/3 हिस्से का दान पत्र दिनांक 17.12.1982 को अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जिसकी पंजीयन 30.12.1982 को उपपंजीयक कार्यालय किशनगढ में किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 122 दिनांक 07.04.1983 को तस्दीक किया गया। स्व. छोगानाथ के भानजे गोपालनाथ पुत्र श्री शंकरनाथ जाति जोगी, निवासी ग्राम आवडा तहसील मालपुरा जिला टोंक ने छोगानाथ से धोखाधडी कर अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जिस[illegible] दिनांक 30.12.1982 को उपपंजीयक कार्यालय, किशनगढ में किया गया है, जिसका [illegible] संख्या 122 दिनांक 07.04.1983 को तस्दीक किया गया। स्व. छोगानाथ व परिवारजन [illegible] जब गोपालनाथ द्वारा धोखे में रखकर अपने नाम दान पत्र निष्पादित करवाने की जानकारी [illegible] तो गोपालनाथ पर दबाव देने पर गोपालनाथ पुत्र श्री शंकरनाथ ने 1/3 हिस्से का दान पत्र प्रार्थियागण के पिता छोगानाथ पुत्र लाडुनाथ व उसकी पत्नी बदामी देवी को बहिस्सा बराबर–बराबर दिनांक 24.03.1983 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

कर दिया जिसका पंजीयन दिनांक 29.04.1983 को हुआ, जिसका नामान्तरण संख्या 168 दिनांक 11.12.1984 को स्वीकृत हुआ। इस प्रकार प्रार्थियागण के पिता स्व. छोगानाथ का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थियागण की माता बदामी देवी का 1/6 हिस्से की खातेदारी काश्तकार हो गई, जिसकी जानकारी सभी परिवारजन को शुरू से रही है। सम्वत 2053 से 2056 कर जमाबन्दी में छोगानाथ व बदामी देवी दोनों का नाम 1/3 हिस्सा में दर्ज है। सम्वत 2057 से 2060 की रोटेशनल जमाबन्दी में छोगानाथ का नाम सहवन से दर्ज नहीं होकर केवल बदामी बेवा छोगानाथ का हिस्सा 1/3 दर्ज हो गया जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 ने गुपचुप तरीके से अपनी पत्नी स्व.लाली देवी पत्नी कालूनाथ के करवा लिया जिसका नामान्तरण संख्या 413 दिनांक 13.08.2008 को भरा गया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 ने स्व. लाली देवी व अन्य खातेदारो से उक्त वादअधीन भूमि का कागजों में बंटवारा करवाकर विभाजन का नामान्तरण संख्या 458 दिनांक 06.01.2020 को खुलवा लिया। लाली देवी के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 ने विरासत नामान्तरण संख्या 654 दिनांक 11.12.2014 के जरिये अपने व अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के नाम करवा लिया। प्रार्थीयागण की माता श्रीमति बदामी देवी का मूल खसरा नम्बरान में 1/6 हिस्सा ही था तथा 1/6 हिस्सा प्रार्थियागण के पिता छोगानाथ का था। इस प्रकार संयुक्त रूप से दोनों का 1/3 हिस्सा था। प्रार्थियागण की माता बदामी देवी को सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अन्तरण करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। जब प्रार्थियागण के पिता श्री छोगानाथ का निधन हुआ तो प्रार्थियागण विरासत के नामान्तरण हेतु नकल निकलवाने पहुंची तो उन्हें उपरोक्त तथ्यों की जानकारी हुई। कानूनन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थिया संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है, प्रार्थिया संख्या 02 का 1/3 हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का 1/3 हिस्सा है जिस हिस्से पर वर्तमान में प्रार्थियागण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैतृक है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 06 वादअधीन भूमि को बेचान, दान, वसीयत, रहन, बन्धक कर अन्तरण करे या भारित करने पर आमादा है,जबकि उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थियागण का भी उक्त भूमि में हिस्सा निहित है। प्रार्थियागण द्वारा अपने माता पिता का विरासत नामान्तरण खुलवाने के लिये नकल लेने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के नाम भूमि होने की जानकारी दिनांक 24.12.2017 को मिलने पर को मिलने पर प्रार्थियागण ने अप्रार्थीगण से बातचीत की तो अप्रार्थीगण ने आश्वासन दिया कि वे प्रार्थियागण के हिस्से की [illegible]के नाम करवा देगें, किन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थियागण के नाम भूमि करवाने के बजाय भूमि [illegible] सौदा करने के लिये इच्छुक क्रेताओं को एवं भूमि दलालों को भूमि दिखाना प्रारम्भ कर [illegible] प्रार्थियागण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 06 उपरोक्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के विरूद्ध ताफैसला मूल दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 492/1, 492/4, 493/1, 493/5 कुल किता 04 कुल रकबा 12 बीघा 05 बीस्वा तथा खसरा संख्या 491 रकबा 02 बीस्वा रकबा 02 बीस्वा किस्म गै.मु. चाह भूमि के प्रार्थियागण के हिस्से तक का अन्य किसी को बेचान , दान, वसीयत, रहन, बन्धक, अन्तरण नहीं करें तथा प्रार्थियागण के हिस्से तक की भूमि में काश्तकार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

2. बाद तलबी पत्रली दिनांक 23.07.2019 को प्राप्त हुई, तलबी पश्चात भी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के विरूद्ध दिनांक 23.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। हस्तगत प्रकरण उपखण्ड अरांई के क्षेत्राधिकार में होने से जरिये स्थानान्तरण उपखण्ड न्यायालय अरांई में प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर क्रमांक में 228/2020 पर दर्ज किया गया। दिनांक 08.07.2022 तक भी प्रतिवादी संख्या 10 का जवाब प्राप्त नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 10 का जवाब बन्द किया गया तथा दिनांक 27.07.2023 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणो की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने प्रार्थियागण आपस मे सगी बहने है एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 06, प्रार्थीयागण की सगी बहन स्व. लाली देवी पत्नी श्री कालूनाथ के वारिसान है, अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीयागण की सगी बहन स्व. लाली देवी का पति कालूनाथ है तथा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम गेहलपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 491 के सहखातेदार है। श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम गेहलपुर स्थित कृषि आराजी खसरा संख्या 492/1, 492/4, 493/1, 493/5 कुल किता 04 कुल रकबा 12 बीघा 05 बीस्वा स्थित है जो कि अप्रार्थीगणों के नाम दर्ज है। प्रार्थियागण की माता श्रीमति बदामी देवी का दिनांक 31.05.2016 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थियागण के पिता छोगानाथ का निधन दिनांक 03.12.2017 को हो चुका है। प्रार्थियागण की बहन लाली देवी का निधन दिनांक 15.05.2014 को हो चुका है। स्व. श्री छोगानाथ व श्रीमति बदामी देवी के` तीन संतान उत्पन्न हुई जिसमें से लाली देवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 लाली देवी के वारिसान है तथा प्रार्थियागण लाली देवी के बहने होकर स्व. श्री छोगानाथ की पुत्रिया है। प्रार्थियागण के पिता स्व. श्री छोगानाथ के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा संख्या 491, 492, 493, 494 कुल किता 04 कुल रकबा 36 बीघा 17 बीस्वा भूमि ग्राम गेहलपुर, तहसील अरांई में स्थित थी जिसमें स्व. छोगानाथ का 1/3 हिस्सा निहित था। प्रार्थिया के पिता स्व. छोगानाथ के भानजे गोपालनाथ पुत्र शंकरनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम आवडा तह[illegible]पुरा जिला टोंक ने छोगानाथ से धोखाधडी कर छोगानाथ का 1/3 हिस्से का [illegible] 17.12.1982 को अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया जिसकी पंजीयन 30.12.1982 [illegible] उपपंजीयक कार्यालय किशनगढ में किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 122 दिनांक 07.[illegible]983 को तस्दीक किया गया। स्व. छोगानाथ के भानजे गोपालनाथ पुत्र श्री शंकरनाथ जाति जोगी, निवासी ग्राम आवडा तहसील मालपुरा जिला टोंक ने छोगानाथ से धोखाधडी कर अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

जिसका पंजीयन दिनांक 30.12.1982 को उपपंजीयक कार्यालय, किशनगढ में किया गया है, जिसका नामान्तरण संख्या 122 दिनांक 07.04.1983 को तस्दीक किया गया। स्व. छोगानाथ व परिवारजन को जब गोपालनाथ द्वारा धोखे में रखकर अपने नाम दान पत्र निष्पादित करवाने की जानकारी हुई तो गोपालनाथ पर दबाव देने पर गोपालनाथ पुत्र श्री शंकरनाथ ने 1/3 हिस्से का दान पत्र प्रार्थियागण के पिता छोगानाथ पुत्र लाडुनाथ व उसकी पत्नी बदामी देवी को बहिस्सा बराबर–बराबर दिनांक 24.03.1983 को कर दिया जिसका पंजीयन दिनांक 29.04.1983 को हुआ, जिसका नामान्तरण संख्या 168 दिनांक 11.12.1984 को स्वीकृत हुआ। इस प्रकार प्रार्थियागण के पिता स्व. छोगानाथ का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थियागण की माता बदामी देवी का 1/6 हिस्से की खातेदारी काश्तकार हो गई, जिसकी जानकारी सभी परिवारजन को शुरू से रही है। सम्वत 2053 से 2056 कर जमाबन्दी में छोगानाथ व बदामी देवी दोनों का नाम 1/3 हिस्सा में दर्ज है। सम्वत 2057 से 2060 की रोटेशनल जमाबन्दी में छोगानाथ का नाम [illegible] से दर्ज नहीं होकर केवल बदामी बेवा छोगानाथ का हिस्सा 1/3 दर्ज हो गया जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 ने गुपचुप तरीके से अपनी पत्नी स्व.लाली देवी पत्नी [illegible] लिया जिसका नामान्तरण संख्या 413 दिनांक 13.08.2008 को भरा गया। इसी [illegible] अप्रार्थी [illegible] ने स्व. लाली देवी व अन्य खातेदारो से उक्त वादअधीन भूमि का [illegible] बटवारा करवाकर विभाजन का नामान्तरण संख्या 458 दिनांक 06.01.2020 को खुलवा लिया। लाली देवी के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 ने विरासत नामान्तरण संख्या [illegible] दिनांक 11.12.2014 के जरिये अपने व अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के नाम करवा लिया। प्रार्थीयागण की माता श्रीमति बदामी देवी का मूल खसरा नम्बरान में 1/6 हिस्सा ही था तथा 1/6 हिस्सा प्रार्थियागण के पिता छोगानाथ का था। इस प्रकार संयुक्त रूप से दोनों का 1/3 हिस्सा था। प्रार्थियागण की माता बदामी देवी को सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अन्तरण करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। जब प्रार्थियागण के पिता श्री छोगानाथ का निधन हुआ तो प्रार्थियागण विरासत के नामान्तरण हेतु नकल निकलवाने पहुंची तो उन्हें उपरोक्त तथ्यों की जानकारी हुई। कानूनन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थिया संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है, प्रार्थिया संख्या 02 का 1/3 हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का 1/3 हिस्सा है जिस हिस्से पर वर्तमान में प्रार्थियागण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैतृक है किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 06 वादअधीन भूमि को बेचान, दान, वसीयत, रहन, बन्धक कर अन्तरण करे या भारित करने पर आमादा है,जबकि उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थियागण का भी उक्त भूमि में हिस्सा निहित है। प्रार्थियागण द्वारा अपने माता पिता का विरासत नामान्तरण खुलवाने के लिये नकल लेने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के नाम भूमि होने की जानकारी दिनांक 24.12.2017 को मिलने पर को मिलने पर प्रार्थियागण ने अप्रार्थीगण से बातचीत की तो अप्रार्थीगण ने आश्वासन दिया कि वे प्रार्थियागण के हिस्से की भूमि को उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:08 IST
Reason: SelfAttested

नाम करवा देगें, किन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थियागण के नाम भूमि करवाने के बजाय भूमि का सौदा करने के लिये इच्छुक क्रेताओं को एवं भूमि दलालों को भूमि दिखाना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थियागण का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 06 उपरोक्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जावे कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 ग्राम गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 492/1, 492/4, 493/1, 493/5 कुल किता 04 कुल रकबा 12 बीघा 05 बीस्वा तथा खसरा संख्या 491 रकबा 02 बीस्वा रकबा 02 बीस्वा किस्म गै.मु. चाह भूमि के प्रार्थियागण के हिस्से तक का अन्य किसी को बेचान, दान, वसीयत, रहन, बन्धक, अन्तरण नहीं करें तथा प्रार्थियागण के हिस्से तक की भूमि में काश्तकार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2041 ग्राम [illegible] तहसील अरांई खसरा संख्या 491, 492, 493, 494 कुल किता 04 कुल रकबा 36 बीघा [illegible] बीस्वा [illegible] लाडुनाथ पुत्र फूलनाथ नामान्तरण संख्या 91 दिनांक 21.05.1981 के [illegible] से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि प्रार्थियागण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पैतृक है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार प्रार्थियागण का बदामी देवी की पुत्री होने के कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में हक–हिस्सा निहित है। अतः प्रार्थियागण द्वारा पेश शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय यह निर्णय देती है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम गहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 492/1, 492/4, 493/1, 493/5 कुल किता 04 कुल रकबा 12 बीघा 05 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075) तथा खसरा संख्या 491 रकबा 02 बीस्वा रकबा 02 बीस्वा किस्म गै.मु. चाह (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071) के प्रार्थियागण के हिस्से तक का अन्य किसी को बेचान, दान, वसीयत, रहन, बन्धक, अन्तरण नहीं करें तथा प्रार्थियागण के हिस्से तक की भूमि में काश्तकार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

5. आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:38:08 IST
Reason: Self Attested